

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सैनिक कल्याण अनुभाग

देहरादून : दिनांक: 14 सितम्बर, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में सैनिक कल्याण विभाग से संबंधित अनुदान संख्या-15 के राजस्व पक्ष की विभिन्न मदों में प्राविधानित धनराशियों की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2002/सै.क./बजट आवंटन/2017-18, दिनांक 21 जून, 2017 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-312/XXVII(I)/2017, दिनांक 31 मार्च, 2017 के क्रम में पूर्व निर्गत शासनादेश-398/XVII-5/2017-03(01)/2017, दिनांक 26 अप्रैल, 2017 व वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-610/3(150)XXVII(I)/2017, दिनांक 30 जून, 2017 के क्रम में पूर्व निर्गत शासनादेश-694/XVII-5/2017-03(01)/2017, दिनांक 21 जुलाई, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में सैनिक कल्याण विभाग से संबंधित अनुदान संख्या-15 के लेखाशीर्षक 2235 के राजस्व पक्ष की विभिन्न मदों में प्राविधानित धनराशि में से मद संख्या-0307-वार-टू-सेना मेडल के पुरस्कार प्राप्त राज्य के सैनिकों को एक मुश्त अनुदान/एन्यूटी, 42-अन्य व्यय के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में कुल प्राविधानित धनराशि ₹ 500.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि ₹ 333.33 लाख (₹ 333.33 लाख तेत्तीस लाख तेत्तीस हजार मात्र) एवं मद संख्या-0309-उत्तराखण्ड के निवासी द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी आश्रित विधवाओं के पेंशन पर व्यय की जाने वाली 42-अन्य व्यय के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में कुल प्राविधानित धनराशि ₹ 750.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि ₹ 500.00 लाख (₹ 500.00 लाख पांच करोड़ मात्र) अर्थात् कुल अवशेष धनराशि ₹ 833.33 लाख (आठ करोड़ तेत्तीस लाख तेत्तीस हजार मात्र) (संलग्नक के अनुसार) को वित्तीय वर्ष 2017-18 में वित्त विभाग के उपरोक्त संदर्भित शासनादेशों में उल्लिखित प्रतिबन्धों एवं निम्नलिखित शर्तों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- 1- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-312/XXVII(I)/2017, दिनांक 31 मार्च, 2017 एवं शासनादेश संख्या-610/3(150)XXVII(I)/2017, दिनांक 30 जून, 2017 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-15 के लेखाशीर्षक-2235 (राजस्व पक्ष)-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-200-अन्य कार्यक्रम-0307-वार-टू-सेना मेडल के पुरस्कार प्राप्त राज्य के सैनिकों को एक मुश्त अनुदान/एन्यूटी (42-अन्य व्यय) एवं

5/11/17

लेखाशीर्षक-2235 (राजस्व पक्ष)-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-200-अन्य कार्यक्रम-0309-उत्तराखण्ड के निवासी द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी आश्रित विधवाओं को पेंशन (42-अन्य व्यय) के नामे डाला जायेगा।

- 3- उक्त स्वीकृत रू0 833.33 लाख (आठ करोड़ तेत्तीस लाख तेत्तीस हजार मात्र) की धनराशि का आवंटन इन्टरनेट के माध्यम से संलग्न विवरणानुसार एलोटमेन्ट आई0डी0सं0-S1709150054, दिनांक 12 सितम्बर, 2017 द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या-4732 में कर दिया गया है तथा यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-879/XXVII(1)/2017, दिनांक 11 सितम्बर, 2017 के द्वारा उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,


(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 1084(1)/XVII-5/2017-03(01)/2017, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-01, उत्तराखण्ड शासन।
5. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,


(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव।